

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 273/13  
 संस्थापन दिनांक:-12/08/13  
 फाईलिंग नं. 233504001412013

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

1. संजू पिता फुन्दू  
 उम्र 37 वर्ष, निवासी अंधारिया,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
2. पंढरी पिता नत्थू उघड़े  
 उम्र 28 वर्ष, निवासी देवठान,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
3. मधु उर्फ रेवाराम पिता भामरू उर्फ ढोमन  
 उम्र 50 वर्ष, निवासी करजगांव,  
 थाना मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 20.02.2018 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध पशु कूरता अधिनियम की धारा 11 डी, गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6 व 6/9 तथा म.प्र. कृषि परिसंरक्षण अधिनियम की धारा 6 क एवं 6 ख के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 06.08.2013 को समय शाम 06:00 बजे स्थान तिरमहू से हरदौली मार्ग सुरेंद्र पहाड़े के खेत के पास थाना आमला के अंतर्गत गौवंश 8 नग पशु को इस रीति से परिवहन किया जिससे उन्हें अनावश्यक पीड़ा या यातना के वशीभूत हुए एवं गौवंश 8 नग पशु को वध करने के प्रयोजन के लिए या वध किये जाने की संभावना को जानते हुए उनका परिवहन किया अथवा करने दिया अथवा कराया अथवा अपने पास रखा तथा बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के 9 नग पशु को बुरी तरह से फांसा लगाकर बेरहमी से मारते पीटते हुए वध किए जाने हेतु ले जा रहे थे।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि प्रधान आरक्षक बिसनसिंह को दिनांक 06.08.2013 को शाम करीब 04:30 बजे जरिये टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तिरमहू से हरदोली की ओर कुछ लोग मवेशियों को एक-दूसरे के साथ गाथा लगाकर बेरहमी से हांकते हुए कल्लखाने महाराष्ट्र तरफ ले जा रहे हैं। सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां तीन व्यक्ति 8 मवेशियों को एक-दूसरे के साथ बुरी तरह फांसा लगाकर बेरहमी से मारते पीटते ले जा रहे थे। अभियुक्तगण से नाम पूछने पर उन्होंने अपना नाम संजू, पंढरी, मधु उर्फ रेवाराम बताया। अभियुक्तगण से कुल 8 नग मवेशी जप्त किये जाकर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। जप्तशुदा मवेशियों का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। थाने वापस आकर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 232/13 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर गौवंश 8 नग पशु को इस रीति से परिवहन किया जिससे की वह अनावश्यक पीड़ा या यातना के वशीभूत हुए ?
2. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर गौवंश 8 नग पशु को वध के प्रयोजन के लिए या वध किए जाने की संभावना को जानते हुए उनका परिवहन किया अथवा करने दिया अथवा कराया अथवा अपने पास रखा ?
3. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के 8 नग पशु को बुरी तरह से फांसा लगाकर बेरहमी से मारते पीटते हुए वध किए जाने हेतु ले जाते हुए परिवहन किया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

**।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

### विचारणीय प्रश्न क्र. 01, 02 एवं 03 का निराकरण

5 उपर्युक्त तीनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6 विजय (अ.सा.-6) एवं श्रीराम (अ.सा.-7) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वे अभियुक्तगण को नहीं जानते हैं। घटना वर्ष 2013 की शाम के लगभग 4 बजे की है। घटना के समय दो लोग 10-12 जानवरों को एक-दूसरे को फंसा लगाकर हांकते हुए ले जा रहे थे। जब उनसे पूछा कि कहां लेकर जा रहे हैं तब बताया कि बिरूल मार्केट ले जा रहे हैं और कहा कि हम नौकर हैं, हमारा मालिक पीछे आ रहा है। इसके बाद बजरंग दल के धीरज यादव को फोन करके बुलाया और उसके बाद पुलिस को मौके पर बुलवाया। मौके पर जानवरों को हांककर ले जाने वालों का तीसरा साथी भी आ गया था। पुलिस ने उसके समक्ष पंचनामा बनाया था और जानवरों की जप्ती की थी। सोनू (अ.सा.-8) ने यह बताया है कि वह अभियुक्तगण को नहीं जानता है। घटना के समय उसने तीन लोगों को देखा था। जब वह मौके पर पहुंचा था तो मौके पर विजय, बीरज एवं अन्य लोगों ने 8-9 मवेशियों को रोककर रखा था। सभी मवेशी फंसा लगाकर बुरी तरह बंधे हुए थे। मौके पर पुलिस आयी थी और उसके समक्ष पंचनामा और जप्ती बनायी थी।

7 बिसन सिंह (अ.सा.-9) का कहना है कि वह दिनांक 06.08.2013 को पुलिस थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा सूचना प्राप्त होने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 232/13 में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-11) लेख किया गया था तथा अभियुक्त पंढारी एक बछड़ा, अभियुक्त संजू से 3 नग बछड़े, एवं अभियुक्त मधु उर्फ रेवाराम से 3 नग बछड़े जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1, प्रदर्श पी-2 एवं प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने उक्त दिनांक को ही जप्तशुदा मवेशी सुरेंद्र पहाड़े को प्रदर्श पी-9 के अनुसार अस्थायी सुपुर्दनामे पर दिया था तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-4, प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किया है।

8 डॉ. डी.के. साहू (अ.सा.-5) ने दिनांक 07.08.2013 को पशु चिकित्सालय आमला में पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को उसने पुलिस की तहरीर पर आठ मवेशियों का परीक्षण किया था जिसमें सभी गौवंश को कृषि कार्य के लिए उपयुक्त पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी मेडिकल रिपोर्ट (प्रदर्श पी-10) को प्रमाणित भी किया है।

9 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। यहां तक कि जप्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षीगण ने भी घटना का समर्थन नहीं किया है। किसी भी साक्षीगण ने अभियुक्तगण को न जानना बताया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन यह स्थापित नहीं कर पाया है कि अभियुक्तगण ही जानवरों का परिवहन कर रहे थे जिससे अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

10 बिरज (अ.सा.-1) एवं रूपसिंह (अ.सा.-2) जो कि जप्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी हैं। उपर्युक्त साक्षीगण ने घटना के संबंध में कोई जानकारी न होना और अभियुक्तगण को न जानना बताया है। साक्षी बिरज (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि उसके समक्ष अभियुक्तगण से कुछ जप्त नहीं किया गया था तथा साथ ही जप्ती एवं गिरफ्तारी प्रपत्रों पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। रूपसिंह (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि मौके पर कुछ लोग जानवरों को लेकर जा रहे थे परंतु उसके समक्ष पुलिस ने अभियुक्तगण से कुछ जप्त नहीं किया था और न ही उन्हें गिरफ्तार किया था परंतु जप्ती एवं गिरफ्तारी प्रपत्रों पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन अधिकारी द्वारा उपर्युक्त साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं एवं प्रतिपरीक्षण में उपर्युक्त साक्षीगण ने स्वयं के समक्ष पुलिस द्वारा अभियुक्तगण से जानवरों की जप्ती एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से इनकार किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

11 ओमप्रकाश (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि वह अभियुक्तगण को नहीं जानता है। उसके समक्ष पुलिस वालों ने ग्राम पंचायत तिरमउ के सचिव को जानवर अस्थायी सुपुर्दगी पर नहीं दिये थे। उसके कुछ कागजों पर हस्ताक्षर ले लिए गये थे इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है। सुरेंद्र (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि पुलिस ने 4-5 नग मवेशी लेकर आये थे और कहा था कि मवेशियों की देखभाल करना। उसे अस्थायी सुपुर्दनामे पर दिया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जानवर किसके थे। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसे यह नहीं पता कि जानवर कहां से जप्त किये गये थे। प्रतिपरीक्षण में उपर्युक्त दोनों ही साक्षीगण ने यह बताया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जानवर किसके थे, कहां से लाये गये थे। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

12 प्रकरण में साक्षी विजय (अ.सा.-6), श्रीराम (अ.सा.-7), सोनू (अ.सा.

—8) महत्वपूर्ण साक्षी है, जिन्होंने मौके पर जानवरों को देखा एवं पुलिस को सूचना दी परंतु उपर्युक्त साक्षीगण ने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण को न जानना बताया है। मौके पर तीन लोगों को देखा जाना और जानवरों को हांककर ले जाते हुए देखा जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में विजय (अ.सा.—6) ने यह बताया है कि कौन व्यक्ति जानवर को ले जा रहे थे, जानवर किसके थे उसे जानकारी नहीं है। पुलिस के कहने पर उसने पंचनामे पर हस्ताक्षर किये थे। श्रीराम (अ.सा.—7) एवं सोनू (अ.सा.—8) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि बैल कहां से लाये गये थे, अभियुक्तगण के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी, इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण भी अपने कथनों पर स्थिर नहीं हैं। अभियुक्तगण की पहचान भी नहीं कर पाये हैं। विवेचक साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.—9) ने भी मुख्य परीक्षण में ऐसे कोई कथन नहीं किये हैं जिससे कि यह प्रकट हो कि मौके पर अभियुक्तगण जानवरों को मारते पीटते परिवहन कर रहे हो। जानवरों के चिकित्सकीय परीक्षण में चिकित्सक साक्षी डी.के. साहू (अ.सा.—5) ने सभी जानवरों का स्वस्थ अवस्था में होना एवं कृषि कार्य के लिए उपयुक्त होना बताया है और गौवंश को आयी साधारण चोटें आपस में टकराने से आना संभावित बताया है।

13 अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे कि यह प्रकट हो कि अभियुक्तगण जानवरों को वध करने के प्रयोजन से महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे थे। साथ ही अभिलेख पर ऐसी भी कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्तगण के द्वारा ही जानवरों को मारापीटा जा रहा था एवं जानवरों का हांककर परिवहन किया जा रहा था क्योंकि किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्तगण को न पहचानना बताया है। जप्तशुदा जानवरों के चिकित्सकीय परीक्षण में सभी जानवर स्वस्थ एवं कृषि उपयोगी पाये गये हैं। ऐसी स्थिति में जानवरों का वध किये जाने हेतु ले जाया जाना अस्वाभाविक प्रतीत होता है। साथ ही कोई स्पष्ट साक्ष्य भी इस संबंध में अभिलेख में नहीं है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

### विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

14 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश 8 नग पशु को इस रीति से परिवहन किया जिससे की वह अनावश्यक पीड़ा या यातना के वशीभूत हुए एवं गौवंश 8 नग पशु को वध के प्रयोजन के लिए या वध किए जाने की संभावना को जानते हुए उनका परिवहन किया अथवा करने दिया अथवा कराया अथवा अपने पास रखा तथा बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के 8 नग पशु को बुरी तरह से फांसा लगाकर बेरहमी से मारते पीटते हुए वध किए जाने हेतु ले जाते हुए परिवहन किया। फलतः

अभियुक्तगण संजू, पंढरी एवं मधु उर्फ रेवाराम को पशु कूरता अधिनियम की धारा 11 डी, गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6 व 6/9 तथा म.प्र. कृषि परिसंरक्षण अधिनियम की धारा 6 क एवं 6 ख के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

15 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16 प्रकरण में जप्तशुदा 08 नग गौवंश आवेदक/अभियुक्तगण मधु, पंढरी एवं संजू को अस्थायी सुपुर्दनामे पर दिये गये हैं। उक्त जप्तशुदा गौवंश के संबंध में अन्य किसी ने दावा भी नहीं किया है। अतः अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार गौवंश का निराकरण किया जावे।

17 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)